भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या: 3076
गुरुवार, 7 अगस्त, 2025/16 श्रावण, 1947 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

किफायती और सुलभ हवाई यात्रा

3076. श्री जिया उर रहमान:

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार नागर विमानन क्षेत्र के सामने आ रही चुनौतियों, विशेषकर उच्च हवाई किराए, टियर-2 और टियर-3 शहरों में पर्याप्त हवाई संपर्क की कमी, विमान पत्तन की अवसंरचना के विकास में देरी, विमान कंपनियों के समक्ष आ रही वित्तीय अड़चनों और यात्री सुरक्षा और सुविधा से संबंधित मुद्दों से अवगत है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं और नीतिगत पहलों के माध्यम से देश भर में किफायती और सुलभ हवाई यात्रा को बढ़ावा देने, क्षेत्रीय संपर्क में सुधार करने, अवसंरचना के विकास में तेजी लाने, एयरलाइनों की वित्तीय स्थिति सुनिश्चित करने, सुरक्षा मानकों को बढ़ाने और यात्री सेवाओं में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और
(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) से (ग): नागर विमानन मंत्रालय ने टियर-2 और टियर-3 शहरों में असेवित और अल्पसेवित हवाईअड्डों का पुनरुद्धार करके क्षेत्रीय हवाई संपर्क को सुगम बनाने के लिए दिनांक 21 अक्टूबर, 2016 को क्षेत्रीय संपर्क योजना - उड़े देश का आम नागरिक (आरसीएस-'उड़ान') आरंभ की थी। इस योजना के आरंभ होने के पश्चात, 15 हेलीपोर्टों और 2 वाटर एयरोड्रोमों सहित 92 असेवित और अल्पसेवित हवाईअड्डों को जोड़ने वाले 637 आरसीएस मार्ग कार्यशील किए जा चुके हैं।
क्षेत्रीय हवाई यात्रा की वहनीयता सुनिश्चित करने के लिए, 'उड़ान' योजना क्षेत्रीय मार्गों पर एयरलाइन प्रचालकों को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती है, जिसमें शामिल हैं: एयरलाइन परिचालन लागत कम करने के लिए केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों और हवाईअड्डा प्रचालकों द्वारा रियायतें और ऐसे मार्गों पर परिचालन लागत एवं अपेक्षित राजस्व के बीच के अंतर को पाटने के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) भी। जिन आरसीएस सीटों पर चयनित एयरलाइन प्रचालकों (एसएओ) को वीजीएफ प्रदान किया जाता है, उनका हवाई किराया 3 वर्ष की अवधि के लिए सीमित किया जाता है।

हवाईअड्डों का विस्तार और उन्नयन एक सतत प्रक्रिया है और यह प्रक्रिया समय-समय पर हवाईअड्डा प्रचालकों द्वारा भूमि की उपलब्धता, वाणिज्यिक व्यवहार्यता, सामाजिक-आर्थिक

कारकों, यातायात की मांग/ऐसे हवाईअड्डों से/तक परिचालन करने की एयरलाइनों की इच्छा के आधार पर की जाती है। राष्ट्रीय नागर विमानन नीति, 2016 का उद्देश्य भारतीय विमानन क्षेत्र के समग्र विकास के लिए एक अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र उपलब्ध कराना है, जिसमें इसके सभी उप-क्षेत्रों अर्थात एयरलाइनें, हवाईअड्डे, एमआरओ, एफटीओ आदि का विकास शामिल होता है।

इसके अतिरिक्त, डीजीसीए नियमित निगरानी, स्पॉट जाँच और ऑडिट सहित एक मज़बूत निगरानी प्रणाली के माध्यम से विमानन सुरक्षा सुनिश्चित करता है। यह निरीक्षणों के लिए एक वार्षिक निगरानी योजना (एएसपी) का पालन करता है और यह सुनिश्चित करता है कि ऑडिट के निष्कर्षों का सत्यापित सुधारात्मक कार्रवाई के साथ समाधान किया जाए।

*****